

12  $\frac{1}{24}$

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
तहसीलदार सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
ब्रमांठ- भू-अ./2023/5126 दिनांक 28.12.2023  
को स्वीकार किये जाने में वकील वादी को कोई  
एतराज नहीं है। अतः तहसीलदार सीकर से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है व  
तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार  
अन्तिम डिग्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव  
अन्तिम डिग्री का भाग रहेगा। पत्रावली फंसल  
कुमार होकर नम्बर से कम ही। द्वाखिल दफ्तर  
हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी

सौकर